



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3eb39e100e070d8b6881

Receipt Date : 16-Sep-2020 05:10:52 pm

Receipt Amount : 50/-

Amount In Words : Fifty Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Ranchi

Stamp Duty Paid By : NISITH KESHARI CONSTRUCTIONS PVT LTD


Purpose of stamp duty paid : DEVELOPMENT AGREEMENT

First Party Name : AMAN SARRAF AND OTHERS

Second Party Name : NISITH KESHARI CONSTRUCTIONS PVT LTD

GRN Number : 2001945770

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Aman Sarraf

Mangju Devi

Santosh Mahanta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पोसरज राम

Karun Kumar

पारस महतो

Birendra Kumar Ram

Soni Saini

Sahy

Birendra Kumar Sahy

[Handwritten signature]

गोपनीय

Kaushik Kumar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sankul Mantra
ता महेता

Birenda Kumar

आप महेता

जीवाभार महेता

Rajendra Kumar

मनोहर साहु
मनोहर महेता

Niranjana Pr
शहामा आर
Karan Kumar

प्रगति एकरारनामा

यह प्रगति-एकरारनामा पत्र आज दिनांक 16/09/2020 ई0 को दोनो पक्षों के बीच इस प्रकार सम्पन्न हुआ।

नाम प्रथम पक्ष :- (1) अमन सराफ (UID No.) पिता श्री प्रमोद कुमार (2) मंजु देवी (UID No.) पति श्री प्रमोद कुमार दोनों जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यापार, निवासी- ज्योति विहार, शिवगंज, हरमू रोड, थाना कोतवाली, जिला- राँची, झारखण्ड (3) बिरेन्द्र कुमार साहु, (UID No.) पिता स्व० निलाम्बर साहु जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यापार निवासी- एच.आई.जी. अरगोड़ा, हाउसिंग कॉलोनी, थाना अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (4) डॉ० ज्योत्सना कुमारी, (UID No.) पति विकास पात्रा, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- डॉक्टर, निवासी- एच.आई.जी. अरगोड़ा, हाउसिंग कॉलोनी, थाना अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (5) करुण कुमार (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता - स्व० बासुदेव साहु जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (6) लव महतो (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता - स्व० महादेव महतो जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (7) अनिल चन्द्र राम (UID- XXXX XXXX XXXX) (8) मनोहर साहु (UID- XXXX XXXX XXXX) दोनों के पिता - स्व० फगन साहु, (9) मोसोमात सरस्वती देवी (UID- XXXX XXXX XXXX) पति स्व० हरिश साहु, (10) निरंजन

Signed For
Kunal Kumar

Amarendra Kumar Singh Pr.

Birenda Kumar Sahy

Mangju Devi सरस्वती देवी

Aman Saraf

कुमार (UID- XXXX XXXX XXXX) (11) कुणाल कुमार (UID- XXXX XXXX XXXX) दोनों के पिता स्व० हरिश साहु सभी जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (12) मनोज महतो (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता - स्व० महादेव महतो जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- किसान, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (13) निलाम्बर राम (UID- XXXX XXXX XXXX) (14) रोहित महतो (UID- XXXX XXXX XXXX) दोनों के पिता - स्व० मलार महतो सभी जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (15) पारत महतो (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता - स्व० महादेव महतो जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (16) बिरेन्द्र कुमार राम (UID- XXXX XXXX XXXX) (17) विनय राज (UID- XXXX XXXX XXXX) दोनों के पिता - श्री पोखराज राम, (18) पोखराज राम (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता स्व० बैजनाथ राम सभी जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (19) राजकुमार राम (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता अनिल चन्द्र राम जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (20) संजीत कुमार (UID- XXXX XXXX XXXX) (21) रंजीत कुमार (UID- XXXX XXXX XXXX) दोनों के पिता - स्व० नन्दलाल साहु जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (22) संतोष महतो (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता - स्व० महादेव महतो जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (23) शीतल कुमार (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता - स्व० बासुदेव साहु जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (24) सोनी देवी (UID- XXXX XXXX XXXX) पति श्री रविन्द्र कुमार (25) रविन्द्र कुमार (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता - स्व० निलाम्बर साहु सभी जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (26) सुदामा साहु (UID- XXXX XXXX XXXX) पिता - सुखदेव साहु जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू

Santosh Mahato
पति रविन्द्र

Birendra Kumar
पति रविन्द्र

Nilambar Mahato

Kunal Kumar

Sanjeev

Birendra Kumar Mahato

Nilambar Mahato Rajendra

Birendra Kumar Sahy

श्री रविन्द्र

श्री रविन्द्र

पति महतो
पोखराज राम

मनीष साहु
मनो ज 4 6 7
श्री रविन्द्र
Nirajan Kumar
श्री रविन्द्र साहु
Manju Devi
सरस्वती देवी
21 Page
Aman Saraff
Karan Kumar

पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड। सभी भारतीय नागरिक।

..... (जमीन मालिकगण)

(संदर्भ में विषय के प्रतिकूल अथवा अनपेक्षित न हो सम्बोधनों में उनके वैध उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, निष्पादक एवं अभिहस्ताक्षरकर्ता सभी सम्मिलित माने जायेंगे)

द्वितीय पक्ष :- निशित केशरी कन्सट्रक्सन्स प्रा० लि० (PAN- AADCN2392Q) इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड जिसका रजिस्ट्रेशन नं० **U45200JH2010PTC013930** कार्यालय 221, प्रथम तल्ला तिरथ मेन्सन, नियर ओवरब्रिज, मेन रोड, थाना- चुटिया, जिला- राँची द्वारा इनके निदेशक **निशित कुमार केशरी (UID- XXXX XXXX 7331)** पिता- स्व० नवल किशोर केशरी, दादा- स्व० रामलखन साहू, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यापार, निवासी- एच.आई.जी. 21, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड। भारतीय नागरिक।

.....(बिल्डर/डेवलपर)

(संदर्भ में विषय के प्रतिकूल अथवा अनपेक्षित न हो सम्बोधनों में उनके वैध उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, निष्पादक एवं अभिहस्ताक्षरकर्ता सभी सम्मिलित माने जायेंगे)

लेख्य प्रकार :- प्रगति एकरारनामा वास्ते जमीन विकास कर प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिला भवन विस्तार **ओक फोरेस्ट** निर्माण हेतु।

लेख्य सम्पति :- मवाजी रकबा **201.85 डिसमिल** भूमि वाके मौजा- अरगोड़ा, थाना नम्बर 207, वार्ड नं० 38 (पुराना), नया वार्ड नं० 36, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची जो जिला अवर निबंधन कार्यालय, राँची से संबंधित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खाता नम्बर	सर्वे प्लॉट नम्बर	सब प्लॉट नम्बर	रकबा	जमीन मालिक
197	2557	2557/भाग	01 डिसमिल	अमन सराफ
197	2557	2557/भाग	2.50 डिसमिल	मंजू देवी
15	2563	2563/भाग	11 डिसमिल	अमन सराफ
15	2575	2575/भाग	04 डिसमिल	अमन सराफ
41	2279	2279/भाग	3.58 डिसमिल	अमन सराफ
197	2278	2278/भाग	10 डिसमिल	बिरेन्द्र कुमार साहु
197	2557	2557/भाग	2.50 डिसमिल	
197	2557	2557/भाग	05 डिसमिल	डॉ० ज्योत्सना कुमारी

मनोहर साहू
मनोज महता

अजित साहू

Manju Devi

सरस्वती देवी

Nirajan Kumar

Manju Devi

31 Page

Aman Saraff

श्रीरामा आर. KOLIM

Santosh Mishra
Rajendra Kumar

शेखर महता
नीलमल महता

Rymal Anwar
Birender Kumar

Sujat K.
Birender Kumar Sahy

पार पहा

41	2279	2279/भाग	3.58 डिसमिल		
41	2279	2279/भाग	5.50 डिसमिल	करुण कुमार	
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	लव महतो	
197	2550	2250/भाग	5.25 डिसमिल	अनिल चन्द्र राम मनोहर साहु मोसोमात सरस्वती देवी निरंजन कुमार कुणाल कुमार	
197	2550	2250/भाग	2.66 डिसमिल		
15	2549	2549/भाग	04 डिसमिल		
41	2554	2554/भाग	05 डिसमिल		
27	2280	2280/भाग	4.66 डिसमिल		
27	2555	2555/भाग	1.66 डिसमिल		
79	2551	2551/भाग	3.5 डिसमिल		
79	2551	2551/भाग	1.25 डिसमिल		
77	2553	2553/भाग	03 डिसमिल		
188	2552	2552/भाग	1.5 डिसमिल		
188	2552	2552/भाग	2.25 डिसमिल		
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल		मनोज महतो
15	2563	2563/भाग	25.33 डिसमिल		निलाम्बर राम एवं रोहित महतो
79	2551	2551/भाग	4 डिसमिल		
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	पारत महतो	
41	2279	2279/भाग	1.375 डिसमिल	बिरेन्द्र कुमार राम एवं विनय राज	
41	2279	2279/भाग	4 डिसमिल	पोखराज राम	
79	2551	2551/भाग	1.25 डिसमिल	राजकुमार राम	
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	संजीत कुमार व रंजीत कुमार	
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	संतोष महतो	
41	2279	2279/भाग	5.25 डिसमिल	शीतल कुमार	
197	2278	2278/भाग	20 डिसमिल	सोनी देवी	
197	2278	2278/भाग	01 डिसमिल	सोनी देवी	
197	2278	2278/भाग	10 डिसमिल	रविन्द्र कुमार	
197	2557	2557/भाग	2.50 डिसमिल	रविन्द्र कुमार	
41	2279	2279/भाग	10.75 डिसमिल	सुदामा साहु	
		कुल	201.85 डिसमिल		

Sandesh Mahato
 लव महतो
 Ravindra Kumar
 रविन्द्र कुमार
 अनिल चन्द्र राम

Kunal Kumar
 Birendra Kumar
 Sayed Far
 Birendra Kumar Sahu
 विनय राज
 अनिल चन्द्र राम
 पारत महतो
 सोनी देवी

मनोहर साहु
 मनोज महतो
 अजित साहु
 Manoj Devi
 सरस्वती देवी
 Aman Saraff
 Page 4
 KASHIM KUMAR

संदर्भ

- (क) विदित हो कि उक्त जमीन प्रथम पक्ष की खतियानी/खरीदगी जमीन है जिसपर उनका पूर्ण दखल-कब्जा चला आ रहा है एवं अपने नाम से दाखिल-खारिज कराकर सरकार को साल-दर-साल लगान का भुगतान कर मालगुजारी रसीद निर्गत करवाते चले आ रहे हैं।
- (ख) यह कि प्रथम पक्ष मालिकपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से शिड्युल में वर्णित जमीन पर दखल-कब्जा में है, जिसपर मालिकाना हक है।
- (ग) ऊपर लिखित (नामित) जमीन के मालिक ने तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार बिल्डर के साथ सम्पर्क किए तथा कम्पनी भू-सम्पत्ति को डेवलप करने के लिए आग्रह किए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर उक्त भू-सम्पत्ति को डेवलप करने को सहमत हुए हैं :-

जमीन के मालिक व बिल्डर निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमत हुए हैं।

नियम- 1 परिभाषाएँ :-

- 1.1 जमीन के मालिक - का तात्पर्य (1) अमन सराफ पिता श्री प्रमोद कुमार (2) मंजु देवी पति श्री प्रमोद कुमार, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यापार, निवासी- ज्योति विहार, शिवगंज, हरमू रोड, थाना कोतवाली, जिला- राँची, झारखण्ड, (3) बिरेन्द्र कुमार साहु, पिता स्व० निलाम्बर साहु जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यापार निवासी- एच.आई.जी. अरगोड़ा, हाउसिंग कॉलोनी, थाना अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (4) डॉ० ज्योत्सना कुमारी, पति विकास पात्रा, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- डॉक्टर, निवासी- एच.आई.जी. अरगोड़ा, हाउसिंग कॉलोनी, थाना अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (5) करुण कुमार पिता - स्व० बासुदेव साहु जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (6) लव महतो पिता - स्व० महादेव महतो, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड (7) अनिल चन्द्र राम (8) मनोहर साहु, दोनों के पिता - स्व० फगन साहु, (9) मोसोमात सरस्वती देवी पति स्व० हरिश साहु, (10) निरंजन कुमार (11) कुणाल कुमार, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (12) मनोज महतो पिता - स्व० महादेव महतो जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा-

Sanjay Malika

मंजु देवी

Raviendra Kumar

शक्ति महतो

निलाम्बर महतो

अमन साहू

मनोहर साहू

मनोज महतो

अनिल साहू

Niranjana Kumar

Manju Devi

Sanjay

अमन सराफ

वि.सं. 2/13

Sanjay

Sanjay Sr. Manjra Devi Rajat Kr.

Vimal Kumar

Birendra Kumar Sahu

Birendra Anwar Kar

Santosh Mahato

मो महेतो

Bairendra Kumar

किसान, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना - अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (13) निलाम्बर राम (14) रोहित महतो दोनों के पिता - स्व0 मलार महतो सभी जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (15) पारत महतो पिता - स्व0 महादेव महतो, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (16) बिरेन्द्र कुमार राम (17) विनय राज दोनों के पिता - श्री पोखराज राम, (18) पोखराज राम पिता स्व0 बैजनाथ राम, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (19) राजकुमार राम पिता अनिल चन्द्र राम जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (20) संजीत कुमार (21) रंजीत कुमार दोनों के पिता - स्व0 नन्दलाल साहु, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (22) संतोष महतो पिता - स्व0 महादेव महतो, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (23) शीतल कुमार, पिता - स्व0 बासुदेव साहु जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (24) सोनी देवी पति श्री रविन्द्र कुमार (25) रविन्द्र कुमार पिता - स्व0 निलाम्बर साहु, दोनों जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, (26) सुदामा साहु पिता - सुखदेव साहु, जाति- सामान्य, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 से अनाच्छादित, धर्म- हिन्दू, पेशा- व्यवसाय, निवासी- ग्राम- अरगोड़ा, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची, झारखण्ड, सभी भारतीय नागरिक तथा उनके सभी प्रतिनिधि, प्रशासक, उत्तराधिकारी, निष्पादक से है।

Sanjay for Kunal Kumar

Birendra Kumar Ram

Bhairav Mehta Rajat K.

Birendra Kumar Sahy

Ganeshwar

Ram Devi

पार महेतो

12

बिल्डर - से तात्पर्य है निशित केशरी कन्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0 इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 U45200JH2010PTC013930 कार्यालय 221, प्रथम तल्ला तिरर्थ मेन्सन, नियर ओवरब्रिज, मेन रोड, थाना- चुटिया, जिला- राँची द्वारा इनके निदेशक निशित कुमार केशरी पिता- स्व0 नवल किशोर केशरी, दादा- स्व0 रामलखन साहु, निवासी- एच.आई.जी. 21, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, थाना- अरगोड़ा जिला- राँची, झारखण्ड व इनके सभी वैध उत्तराधिकारी, निष्पादक से तथा अभिहस्तांकित सभी सम्मिलित है।

रविन्द्र महेतो
नीलाधार महेतो
सुदामा साहु

मनोहर साहु
मनोज महेतो

इन्द्रिका साहु

Nirongau K.

Mamya Devi

सरस्वती देवी

Karun Kumar Paluy

Aman Saraff

1.3 भू-सम्पत्ति— से तात्पर्य है कि खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2557, सब प्लॉट नं० 2557/भाग, रकबा 01 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2557, सब प्लॉट नं० 2557/भाग, रकबा 2.50 डिसमिल, खाता नं० 15, आर.एस. प्लॉट नं० 2563, सब प्लॉट नं० 2563/भाग, रकबा 11 डिसमिल खाता नं० 15, आर.एस. प्लॉट नं० 2575, सब प्लॉट नं० 2575/भाग, रकबा 04 डिसमिल खाता नं० 41, आर.एस. प्लॉट नं० 2279, सब प्लॉट नं० 2279/भाग, रकबा 3.58 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2278, सब प्लॉट नं० 2278/भाग, रकबा 10 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2557, सब प्लॉट नं० 2557/भाग, रकबा 2.50 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2557, सब प्लॉट नं० 2557/भाग, रकबा 5 डिसमिल, खाता नं० 41, आर.एस. प्लॉट नं० 2279, सब प्लॉट नं० 2279/भाग, रकबा 3.58 डिसमिल, खाता नं० 41, आर.एस. प्लॉट नं० 2279, सब प्लॉट नं० 2279/भाग, रकबा 5.50 डिसमिल, खाता नं० 18, आर.एस. प्लॉट नं० 2257, सब प्लॉट नं० 2257/भाग, रकबा 6.60 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2550, सब प्लॉट नं० 2550/भाग, रकबा 5.25 डिसमिल, प्लॉट नं० 2550, सब प्लॉट नं० 2550/भाग, रकबा 2.66 डिसमिल, खाता नं० 15 प्लॉट नं० 2549, सब प्लॉट नं० 2549/भाग रकबा 04 डिसमिल, खाता नं० 41 प्लॉट नं० 2554, सब प्लॉट नं० 2554/भाग रकबा 05 डिसमिल, खाता नं० 27 प्लॉट नं० 2280, सब प्लॉट नं० 2280/भाग रकबा 4.66 डिसमिल, खाता नं० 27 प्लॉट नं० 2555, सब प्लॉट नं० 2555/भाग रकबा 1.66 डिसमिल, खाता नं० 79 प्लॉट नं० 2551, सब प्लॉट नं० 2551/भाग रकबा 3.50, खाता नं० 79 प्लॉट नं० 2551, सब प्लॉट नं० 2551/भाग रकबा 1.25 डिसमिल, खाता नं० 77 प्लॉट नं० 2553, सब प्लॉट नं० 2553/भाग रकबा 03 डिसमिल, खाता नं० 188 प्लॉट नं० 2552, सब प्लॉट नं० 2552/भाग रकबा 1.50 डिसमिल, 188 प्लॉट नं० 2552, सब प्लॉट नं० 2552/भाग रकबा 2.25 डिसमिल, खाता नं० 18, आर.एस. प्लॉट नं० 2257, सब प्लॉट नं० 2257/भाग, रकबा 6.60 डिसमिल, खाता नं० 15, आर.एस. प्लॉट नं० 2563, सब प्लॉट नं० 2563/भाग, रकबा 25.33 डिसमिल, खाता नं० 79, आर.एस. प्लॉट नं० 2551, सब प्लॉट नं० 2551/भाग, रकबा 4 डिसमिल, खाता नं० 18, आर.एस. प्लॉट नं० 2257, सब प्लॉट नं० 2257/भाग, रकबा 6.60 डिसमिल, खाता नं० 41, आर.एस. प्लॉट नं० 2279, सब प्लॉट नं० 2279/भाग, रकबा 1.375 डिसमिल, खाता नं० 41, आर.एस. प्लॉट नं० 2279, सब प्लॉट नं० 2279/भाग, रकबा 4 डिसमिल, खाता नं० 79, आर.एस. प्लॉट नं० 2551, सब प्लॉट नं० 2551/भाग, रकबा 1.25 डिसमिल, खाता नं० 18, आर.एस. प्लॉट नं० 2257, सब प्लॉट नं० 2257/भाग, रकबा 6.60 डिसमिल, खाता नं० 18, आर.एस. प्लॉट नं० 2257, सब प्लॉट नं० 2257/भाग, रकबा 6.60 डिसमिल, खाता नं० 41, आर.एस. प्लॉट नं० 2279, सब प्लॉट नं० 2279/भाग, रकबा 5.25 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2278, सब प्लॉट नं० 2278/भाग, रकबा 20 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2278, सब प्लॉट नं० 2278/भाग, रकबा 01 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2278, सब प्लॉट नं० 2278/भाग, रकबा 10 डिसमिल, खाता नं० 197, आर.एस. प्लॉट नं० 2557, सब प्लॉट नं०

Sankesh Maheta

शेखर मेहता
Ravindra Kumar

शेखर मेहता
नीलाक्षर मेहता

शेखर राम
Kunal Kumar

Sanjeev Jee

शेखर मेहता Rajat K.

Shiv Dey

Anam Sghat

Birendera Kumar Pan

मनोहर दास
मनोज मेहता

शशिना साहू

Niranjana

Mansu Devi

71 Page
Dahy

सरर-वती देवी
Kareem Kumar

स्थल के साथ जमीन मालिक को आवंटित करने के पश्चात् शेष हिस्सा बिल्डर का होगा, जिसमें सभी सामान्य सुविधाओं तथा जरूरतों के हक, दखल, अधिकार तथा इस्तेमाल करने वाले अधिकार के साथ-साथ वाहन स्थल (कार पार्किंग) मिलेगा।

1.12 हस्तांतरण - हस्तांतरण से तात्पर्य यह है कि बहुमंजिली भवन में बनने वाले फ्लैट के इकाई भाग को अलग देकर हस्तांतरित कर उसे खरीदारों के सुपुर्द किया जाएगा जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट एवं झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) ऑनरशिप एक्ट 2011 की धारा 5(1) एवं (2) के परिभाषा के अन्दर आएगा।

1.13 क्रेता - से तात्पर्य वैसे लोगों से है जो कि प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति जैसे- कम्पनी, संगठन, व्यक्तियों या जो एग्रीमेंट करने योग्य हो, जिसे बहुमंजिली भवन में स्थान का हस्तांतरण किया जा सके। एक अर्थ में बहुमंजिली भवन में फ्लैट खरीदने वाले व्यक्ति को ही क्रेता कहा जाएगा।

1.14 सुपर बिल्ट अप एरिया क्षेत्र - से तात्पर्य है कि बहुमंजिली भवन के कारपेट एरिया (फ्लोर एरिया), दीवार एरिया, बरामदा/बॉलकनी/कपबर्ड एरिया, सीढ़ी का समान अनुपात के क्षेत्रफल, सुरक्षा प्रहरी का कमरा तथा जेनेरेटर लगानेवाला कमरा कोई हो तो वो सभी सम्मिलित होगा।

1.15 आर.एम.सी. - से तात्पर्य है कि आर.एम.सी. कार्यालय जहाँ से बहुमंजिली भवन का नक्शा पास होगा।

नियम- II आरम्भ (उत्पत्ति) :-

यह एकरारनामा को तुरन्त या तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा या लागू होगा।

नियम- III योजना :-

यह योजना बिल्डर के द्वारा तैयार किया जायेगा।

1. बिल्डर आर.एम.सी. राँची से आवश्यक भवन योजना (प्लान) प्लान) B.C.

Case No. _____ को पारित करवाएगा तथा आवश्यकता अनुसार पुनः नक्शा का संशोधन सुधार को पारित करवाएगा तथा जमीन के मालिक बिल्डर को यह अधिकार दे रहे हैं कि नक्शा (भवन योजना) पारित करवाने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेजों पर आवश्यकता पड़ने पर अपना हस्ताक्षर बना सकते हैं।

2. यह बिल्डर का कार्य होगा कि भू-सम्पत्ति को अपने खर्चे पर डेवलपमेंट के लिए अपने अनुरूप बनाए, तैयार करें। इसमें उसे जो भी पदार्थ (मेटेरियल) बचे या प्राप्त हो, वह बिल्डर की सम्पत्ति होगी।

3. विदित हो कि जमीन मालिक को उनके जमीन के एवज में इस एकरारनामा के साथ आवंटन होने वाली फ्लैट का जी.एस.टी. का भुगतान जमीन मालिक के द्वारा सरकार को किये जाने के लिए वचनबद्ध है।

मनोहर साहू
मनोज महतो
Niroujan Kr.
श्रीमती देवी
Manju Devi
Kumar

Santosh Mahato
राजेश महता
Ravindra Kumar
राजेश महता
नीलमल महता

विमल कुमार
राजेश महता
Birendra Kumar Sahy
Bani Devi
Aman Sahay
श्रीमती देवी

Kund Kumar
Birendra Kumar Sahy

राजेश महता

Birendra Kumar Sahy

श्रीमती देवी

Manju Devi
Kumar

Page

नियम- IV बिल्डर का अधिकार :-

यह योजना बिल्डर के द्वारा तैयार किया जायेगा।

1. बिल्डर आर.एम.सी. राँची से आवश्यक भवन योजना (प्लान) **B.C. Case No.** _____ को पारित करवाएगा तथा आवश्यकता अनुसार पुनः नक्शा का संशोधन सुधार को पारित करवाएगा तथा जमीन के मालिक बिल्डर को यह अधिकार दे रहे हैं कि नक्शा (भवन योजना) पारित करवाने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेजों पर आवश्यकता पड़ने पर अपना हस्ताक्षर बना सकते हैं।
2. यह बिल्डर का कार्य होगा कि भू-सम्पत्ति को अपने खर्च पर डेवलपमेंट के लिए अपने अनुरूप बनाए, तैयार करें। इसमें उसे जो भी पदार्थ (मेटेरियल) बचे या प्राप्त हो, वह बिल्डर की सम्पत्ति होगी।

नियम-V अपार्टमेन्ट हेतु विचार-विमर्श :-

1. जमीन के मालिक का जमीन पर पूरा मालिकाना हक, दावा और दखल है और निजी गारन्टी व सभी प्रकार के सही-सही जानकारी जमीन के संबंध में दिए, बिना किसी भी बात को छिपाए हुए तथा एग्रीमेंट भी किए बिल्डर के साथ में ताकि बिल्डर उक्त भू-सम्पत्ति का व्यवसायिक रूप से उपयोग करके उस पर समूचे बहुमंजिली भवन को निर्मित करे, जिसके लिए बिल्डर भी राजी हुए है।
(अ) बिल्डर नक्शा तैयार करवाकर उस पर आने वाले सभी प्रकार के खर्च अपने मद से करें व नक्शा पास करवायेंगे।

जमीन मालिक बिल्डर को विशेष अधिकार दे रहे हैं, ताकि कही गई भूमि पर डेवलपमेंट कार्य हो सके।

नियम- VI बिल्डर्स का हिस्सा (बंटवारा) :-

1. विदित हो कि बिल्डर के द्वारा जमीन मालिक को उनके जमीन के एवज में प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन विस्तार "OAK FOREST" में आर.एम.सी. द्वारा स्वीकृत नक्शा के अनुसार प्लैट के रूप में आवंटित करने के पश्चात् शेष हिस्सा बिल्डर का होगा जिसके हस्तांतरण हेतु जमीन मालिक निबंधित प्रगति एकरारनामा अथवा अखण्डनीय निबंधित मोख्तारनामा देने को वचनबद्ध है, ताकि बिल्डर बिना किसी वैधानिक रूकावट के प्लैट का खरीद-बिक्री, निबंधन तथा बिक्री राशि प्राप्त कर सके।
2. बिल्डर इस एकरारनामा के तहत वित्तीय सहायता वित्तीय संस्थान से प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये सभी अधिकार, हक व सुविधा इसी एग्रीमेंट के तहत बिल्डर को उपलब्ध है।

नियम- VII प्राकृतिक आपदा :-

बिल्डर यहां पर प्राकृतिक आपदाओं के वजह से निर्माण कार्य में देरी या विलंब के लिए तथा समय पर प्लैटों का दखल कब्जा नहीं मिलने के लिए किसी भी तरह से

Santosh Mahto

रमेश

Ravindra Kumar

रवि

गोपाल

Vinod Kumar

Sanjay Sr

Rajesh K.

अनिल

Saini Devi

Birendra Kumar Sahy

अमन

मनोहर लाल

अनिल लाल

अकश लाल

सलस्वती देवी

मनोज महतो

Nirajan kr

Karun Kumar

Quality

Mandya Devi

जिम्मेवार नहीं होगा।। प्राकृतिक आपदाओं से तात्पर्य यह है कि भुकम्प, बाढ़, युद्ध, आँधी-तुफान, बवंडर और कोई भी ऐसा आपदा जो प्रकृति द्वारा या दंगा-फसाद, आपातकाल, बंदी एवं स्ट्राइक जो मनुष्य के नियंत्रण में न हो। उन सभी को इसमें सम्मिलित माना जाएगा।

नियम-VIII मिश्रित (मिलीजुली) :-

1. यह एकरारनामा जमीन के मालिक तथा बिल्डर दोनो के बिच शुद्ध रूप से संविदा के आधार पर हुआ है, जिसकी प्रकृति सिर्फ आपसी सहमति व व्यवहार है जो जमीन मालिक व बिल्डर के बीच आपसी फायदे के लिए किया गया है।
2. इस एग्रीमेंट के तहत कोई भी कानून के अंतर्गत कोई भी समपर्ण, संधि या हस्तांतरण मालिक द्वारा नहीं किया गया है। इस भू-सम्पति या उसके किसी भी भाग के लिए बिल्डर को सिर्फ एक लाईसेंस दिया गया है कि आर्थिक रूप से दोहन करे जबकि बिल्डर इसके लिए रुपया उधार किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक से ले सकते है।
3. जैसे और बहुमंजिली भवन के तैयार (पूर्ण) हो जाने पर बिल्डर एवं इसके क्रेतागण फ्लैट पर अपना कब्जा लेंगे अपने-अपने शेयर (हिस्से) में नए बहुमंजिली भवन में समानुपाती रखरखाव खर्च, तथा अन्य प्रकार के टैक्स व अन्य स्थानों के खर्च समान रूप से बराबर-बराबर बांट कर करेगें।
4. इस एग्रीमेंट के अलावे डेवलपमेंट और बिक्री से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस भवन या जमीन पर नहीं है। यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट अस्तित्व में पाया जाएगा तो सभी खंडित माना जाएगा और यह एग्रीमेंट सभी के ऊपर होगा तथा यह एग्रीमेंट दोनो पक्षों के सहमत से पूर्ण एवं अंतिम है।
5. जमीन के मालिक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह भू-सम्पति सभी प्रकार का विवाद से मुक्त है। जमीन के एवज में कोई कर्ज नहीं लिया गया है जमीन मालिक का पाक-साफ टाइटल व कब्जा है तथा अपने इच्छा एवं हक के साथ जमीन मालिक बिल्डर के साथ इस एकरारनामा को किये है।
6. उक्त भू-सम्पति पर बनने वाले बहुमंजिली भवन के रख-रखाव पर खर्च पर जितने भी तरह का खर्च आएगा वो फ्लैट के मालिकगण को अपने- अपने फ्लैटों के समानुपातिक देना होगा तथा बिल्डर अथवा उनके द्वारा नामित संस्था फ्लैट में रहने वाले व्यक्तियों या मालिक के हितो का ख्याल रखेगा ताकि फ्लैट के मालिक शांतिपूर्ण ढंग से बहुमंजिली भवन में निवास कर सके।
7. यह प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन विस्तार "OAK FOREST" का निर्माण नक्शा स्वीकृति की तिथि से 42 माह में निर्माण बिल्डर द्वारा पूरा किया जाएगा तथा 6 माह का अतिरिक्त समय विस्तार होगा।

नियम- IX (कानूनी प्रक्रियाएँ) :-

1. दोनों पक्षों में यह तय व सहमति हुआ कि जमीन के हक, दखल-कब्जा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा तो उसकी जिम्मेदारी जमीन

मनोहर लाडू
 अनिल लाडू
 सखती देवी
 मनोज महरा
 अदागा साहू
 निरंजन कुमार
 Karun Kumar
 Manju Devi
 Page

Sanjiv Mehta
 नर भट्ट
 Raviendra Kumar
 शिवाजी महरा
 गीतादेवी महरा

Sayed Javed
 Kunal Kumar
 Birendra Kumar
 Birendra Kumar Sahy
 पति महरा
 अमन साहय
 पति महरा

41	2279	2279/भाग	5.50 डिसमिल	करुण कुमार
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	लव महतो
197	2550	2250/भाग	5.25 डिसमिल	अनिल चन्द्र राम मनोहर साहु मोसोमात सरस्वती देवी निरंजन कुमार कुणाल कुमार
197	2550	2250/भाग	2.66 डिसमिल	
15	2549	2549/भाग	04 डिसमिल	
41	2554	2554/भाग	05 डिसमिल	
27	2280	2280/भाग	4.66 डिसमिल	
27	2555	2555/भाग	1.66 डिसमिल	
79	2551	2551/भाग	3.5 डिसमिल	
79	2551	2551/भाग	1.25 डिसमिल	
77	2553	2553/भाग	03 डिसमिल	
188	2552	2552/भाग	1.5 डिसमिल	
188	2552	2552/भाग	2.25 डिसमिल	
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	
15	2563	2563/भाग	25.33 डिसमिल	निलाम्बर राम एवं रोहित महतो
79	2551	2551/भाग	4 डिसमिल	
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	पारत महतो
41	2279	2279/भाग	1.375 डिसमिल	बिरेन्द्र कुमार राम एवं विनय राज
41	2279	2279/भाग	4 डिसमिल	पोखराज राम
79	2551	2551/भाग	1.25 डिसमिल	राजकुमार राम
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	संजीत कुमार व रंजीत कुमार
18	2257	2257/भाग	6.60 डिसमिल	संतोष महतो
41	2279	2279/भाग	5.25 डिसमिल	शीतल कुमार
197	2278	2278/भाग	20 डिसमिल	सोनी देवी
197	2278	2278/भाग	01 डिसमिल	सोनी देवी
197	2278	2278/भाग	10 डिसमिल	रविन्द्र कुमार
197	2557	2557/भाग	2.50 डिसमिल	रविन्द्र कुमार
41	2279	2279/भाग	10.75 डिसमिल	सुदामा साहु
		कुल	201.35 डिसमिल	

Santosh Mahato

रत महतो

Birendra Kumar

विनय राज महतो

मनोज महतो

मनोज महतो

अनिल साहु

Nirajan Kumar

सुदामा साहु

सोनी देवी

Manju Devi

विनय राज महतो

विनय राज महतो
Santosh Mahato
Birendra Kumar
Nirajan Kumar
Manoj Mahato
Anil Sahu
Sudama Sahu
Soni Devi
Manju Devi

द्वितीय शिड्युल (सामान्य सुविधाएँ) :

1. नींव, कॉलम, बीम, सपोर्ट (सहारा) कॉरिडोर, लॉबी (स्थान), लिफ्ट, सीढ़ी में जाने के रास्ते, निकासी, घुसन के रास्ते सभी।
2. पम्प का स्थान, पम्प रूम, स्टॉफ के रूम या कार्यकर्ता के रूम यदि कोई हो।
3. सामान्य रास्ते, आने-जाने के रास्ते, कार पार्किंग स्थान को छोड़कर।
4. गहरा बोरिंग, वाटर पम्प, वाटर टंकी, दो भाग में पानी की नली और अन्य प्लम्बिंग स्थापन।
5. विद्युतीय ताम्बा के वायरिंग तथा 2 फेज का मीटर।
6. नालियाँ तथा वर्षा पानी का पाईप लाईन।
7. बाउन्ड्री वाल जिसमें बाहरी दिवार कटी गई इमारत का तथा मुख्य द्वार का फाटक।
8. और भी ऐसे सामान्य भाग, क्षेत्र, सुविधाओं, फिटिंग्स, धिरे तथा खुले क्षेत्र में जो बिल्डिंग के जरूरी रास्ते इस्तेमाल करने वालों के विरुद्ध जो सुविधजनक व जरूरी है, किन्तु पार्किंग स्थल इसमें नहीं होंगे।

तृतीय शिड्युल (विशिष्टियाँ या विशेषताएँ) :

- नींव :- आर.सी.सी. कॉलम तथा पेडेस्टल जो होगा वह दीमकरोधी दोनो जगह नींव और प्लिंथ में भी होगा।
- संरचना :- आर.सी.सी. - बीम/कॉलम/स्लैब।
- दीवार :- 6 इंच मोटी बाहरी दीवार तथा 4 इंच मोटी आंतरिक विभागजन वाली दीवारे होगी।
- दीवार का फिनिशिंग :- सभी बाहरी दिवार रस्टिक/टेक्सचर तथा भीतरी दिवारें पीओपीओ एवं जरूरी स्थलों पर पुट्टी किया जाएगा।
- जमीन (फ्लोर) :- उच्च मार्क संयुक्त टाइल्स फ्लैट में लगेगी।
- दरवाजे :- यूओपीओभीओसीओ/लकड़ी फ्रेम के साथ/चैनल टाईप वाटर जो लकड़ी पेंट के प्लास्टिक एनामेल का प्राईमर किया हुआ। दरवाजों में उच्च कोटि की सामग्रियाँ लगी होगी।
- खिड़कियाँ :- पूरी तरह चमकीला ग्राउण्ड शीशे की तीन चैनल वाली जिसमें एक पूरी तरह फिक्सड होगा। अल्युमिनियम/UPVC फ्रेम के जो ग्रिल से मिलकर बना होगा, दो कोट में पेंट किया हुआ सिंथेटिक एनामेल के पेंट किया हुआ प्राईमर से।
- जल की व्यवस्था :- इनका फ्लोर सेरामिक टाइल्स तथा डाडो में सेरामिक टाइल्स उपर तक चौखट ऊँचाई तक पाईप की गर्म व ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए टायलेट में भी दोनो उपलब्ध कराया जाएगा।

सैनिटरी फिटिंग्स :- सभी फिटिंग्स सी.पी. फिटिंग्स उच्च क्वालिटी का होगा।

Santosh Mah to

प्र महेतो

Raunika Kumar

शक्ति महेतो
नीरामा महेतो

Kunal Kumar
Bikendra Kumar-Ra

Subject for. Kunal Kumar
Bikendra Kumar-Ra

विम-लिम

विम-लिम

Anam Sahaff
पंरराज राव

पारत महेतो

मनोहर कांडू
मनोज महेतो
Manoj Mahato
Kishor Kumar
अनिता साहू
अनिल साहू
Kishor Kumar
Page
Mandu Devi

रसोई घर :- ग्रेनाइट का प्लैटफार्म साथ में सेरामिक टाइल्स डाडो 36 इंच ऊँचाई तक एक अतिरिक्त टैप नीचे सिंक के लिए।

बिजली उपकरण :- छुपा हुआ तांबा का वायर उच्च क्वालिटी का फिटिंग्स के साथ (ट्यूब लाईट, पंखे तथा अन्य सामग्री नहीं दिए जाएंगे)।

चतुर्थ शिड्युल (सामान्य खर्चे) :-

1. प्रशासकीय रखरखाव, मरम्मती तथा सामग्री बदलाव सभी सामान्य भाग का होगा। चुना, पोचाड़ा, पेंट, अन्य सामग्री जो सजावट का हो और उपयोग बाहरी कार्यों का हो, बाउन्ड्री वाल मुख्य दरवाजा, दीवार, सीढियाँ, निकासियाँ, रेन वाटर पाईप, मोटर पम्प, लिफ्ट, ट्यूब वेल, वायरिंग इन सभी तथा अन्य और भी सामान्य स्थानों में जो भी खर्च होगा वो जमीन मालिक भी समान रूप से अन्य प्लैट मालिकों के साथ मिलकर अपने-अपने हिस्से के अनुसार खर्च करेंगे।
2. साफ-सफाई, रख-रखाव तथा मुख्य द्वार के प्रकाश व्यवस्था व अन्य स्थानों के प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि का कॉस्ट सभी वहन करेंगे।
3. वेतन भत्ते जो भी मैनेजर, क्लर्क, बिल कलेक्टर, चौकीदार, पलम्बरर्स, बिजलीकर्मी, स्वीपर्स, कोई भी हो।
4. पम्प मोटर, प्लम्बर के कार्यों के रख-रखाव, बदलाव, मरम्मति का सर्विस चार्ज सामान्य रूप से सभी देंगे।
5. अन्य टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स और अन्य टैक्स सभी सम्मिलित है।
6. बिल्डिंग का इश्योरेंस, भूकम्प, आग और भीड़ द्वारा विध्वंस तथा सिविल राईट इत्यादि।
7. सभी प्रकार के बिजली का भुगतान सामान्य के लिए बिल्डिंग के सामान्य भाग के लिए।
8. वैसे सभी प्रकार के अन्य खर्चे जिसमें स्टेशनरीज, प्रिंटिंग तथा अन्य सभी खर्च जो किसी विवाद से रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आर.आर.डी.ए. या अन्य स्थानीय निकाय, सरकार, बीमा कम्पनी या अन्य व्यक्ति के संबंध में जो भी होगा निवास करने वाले तथा आकस्मिक रख-रखाव से संबंधित भवन को दुरुस्त रखने हेतु।

पंचम शिड्युल (ऊपर वर्णित के अनुसार) :-

1. रास्तों के अधिकार सामान्य रूप से जैसे कि सामान्य रास्तों में, बगल के रास्तों में, मुख्य मार्ग में हर समय जो इस्तेमाल किया जाएगा। सुविधाओं के लिए भवन से संबंधित सभी रास्तों को किसी के द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा न तो गाड़ी लगाकर न ही किसी अन्य तरह से कुड़ा-कचड़ा, अवशिष्ट किसी भी प्रकार की गंदगी रास्तों में या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा।

छठा शिड्युल (उपर वर्णित के अनुसार) :-

Raiko Kumar

मनोहर लाल

मनोहर लाल

इतिहास लाइ

Nirvanan

सुदीपा साइ

पारल मधो

Page 1

हाल्डनी देवी

Manju Devi

Sankesh Mahla

राज भवन

Bhaindra Kumar

नीलाम्बर मधो

निग-सि

धन देव

Amar Sahaff

पुस्तक राम

राज भवन

Bhaindra Kumar Sahy

Sanjeev Kumar

Bhaindra Kumar Sahy

1. बिजली, पानी, मिट्टी, कचड़ा बहने का रास्ता का उपयोग सभी बहुमंजिला भवन मालिक करेंगे।
2. बहुमंजिला भवन तथा उसके अन्य भागों की सुरक्षा सामान्य तरीके से किया जाएगा।

यह प्रगति एकरारनामा दोनों पक्ष पढ़ कर एवं पढ़वाकर सोच समझ कर गवाहों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया ताके सय पर आम आवे।

गवाहों का हस्ताक्षर

1.

2.

प्रथम पक्ष / जमीन मालिक का हस्ताक्षर

लत महेता

Birendra Kumar Saha

सरस्वती देवी

मनोहर लाडू

Kunal Kumar

Santosh Mahata

Sajeet Jha

Sajeet Kr.

अमित झाडू

नीलाम्बर महतो

मनीज महतो

Alivoupa. kr.

रोहित महतो

नीलाम्बर महतो

Jalpy

Soni Devi

Birendra Kumar

द्वितीय पक्ष / बिल्डर का हस्ताक्षर

सुदाभा सोडू